राजस्थान सरकार,
क्षेत्रीय पर्यटनकार्यालय,
फतह मेमोरियल, सूरजपोल
उदयपुर

ई–निविदा (बी.ओ.क्यू.) वित्तीय बोली

1. निविदादाता/ फर्म का नाम व पता ....
2. एक्स सर्विसमेन कॉऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नं...
3. फोन नं...................................
4. ई–मेल आई डी.....................................
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन (प्रति संलग्न करे).......................
6. पैन संख्या (पैन कार्ड की प्रतिसंलग्न करें)...
7. सर्विस प्रोवाईडर के रूप में रजिस्ट्रेशन नं. अंकित करें (प्रति संलग्नकरें)..................
8. पी.एफ. रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करें। (प्रतिसंलग्न करें)..
9. कर्मचारी राज्य बी का अधिनियम 1948 मेंरजिस्ट्रेशन ....

क्र. सं.	आवश्यक मानवसंसाधन की संख्या	सैनिक कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक	निविदा दाता की प्रतिकार्मिक मासिकदर.	ई.पी.एफ	ई.एस.आई.	सेवाप्रदाता का सर्विसचार्ज (प्रति कार्मिकमासिक दर)	योग Coulmn(4+7) प्रतिकार्मिकमासिक दर) (Exulding EPF & ESI)	जी.एस.टी.	कुल योग Coulmn (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(गार्ड) उदयपुर–10 कुल– 10	रु 18,370/–प्रति व्यक्ति प्रतिमाह		13%	3.25%			18%	

दर प्रस्ताव उपरोक्त तालिका के कॉलम 10 के अनुसार (अंकों में) .... (शब्दों में) ....

नोट :–उक्त तालिका के कॉलमसख्या 4 से 10 की पूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी।

प्रदाता के हस्ताक्षर.......................
सेवा प्रदाता फर्म का नाम पता, मोबाईलनं. ....

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार,
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय,
फतह मेमोरियल, सूरजपोल
उदयपुर

क्रमांक :– एफ–8 ( )निविदा / टैफ–पवि / 2025–26 / 326 दिनांक 03/05/25

(निविदा क्रमांक.........................)

ऑन लाईन ई–निविदा–पर्यटक सहायता बल के लिये संविदा पर एक्स सर्विस मेन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

पर्यटन कार्यालय उदयपुर द्वारा अधिकृत **Ex Servicemen** कॉऑपरेटिव सोसाइटी से पर्यटक सहायता बल के लिए संविदा पर एक्स सर्विसमेन/ सुरक्षा गार्ड 2 वर्ष के लिए उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार बोली निविदा आंमत्रित की जाती है :–

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित कार्य की लागत	बिडसिक्युरिटी राशि	निविदाजारीकरने की दिनांक	निविदाप्रस्तुतकरने की दिनांक	निविदा खोलेजाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	पर्यटक सहायता बल के लिये संविदा पर गार्ड	54 लाख	1,08,000	03.05.2025	13.05.25 at 11.am	13.05.2025 at 3.00 p.m

यह निविदा प्रपत्र http://eproc rajasthan.gov. in, http://spp.rajasthan. in. तथ www.tourism.rajasthan.gov.inसे भी डाउनलोड की जा सकती हैतथा दिनांक ...13.05.25 .... एवं समय ......11.am पूर्व ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है। आवेदक को बिड डाक्यूमेन्ट शुल्क राशि रूपये 500/–निदेशक, पर्यटन विभाग, उदयपुर ,राशि रूपये 1500/–MD, RiSL, jaipur एवं बिड सिक्युरिटी राशि रूपये 108000/–के डीडी विभाग को दिनांक 13.05.25 समय 11.am से पूर्व विभाग में भोतिक रूप में प्रस्तुत करने होगें।

राजस्थान सरकार,
क्षेत्रीय पर्यटनकार्यालय,
फतह मेमोरियल, सूरजपोल
उदयपुर

क्रमांक :– एफ–8 ( )निविदा / टैफ–पवि / 2025–26 / 326 दिनांक 03-05-25

ऑनलाईन खुली निविदा (क्रमाक 326) पर्यटन विभाग उदयपुर द्वारा **Ex Servicemen** निविदा आंमत्रित की जाती है। कार्य की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए मान्य होगी। बिड निमित प्रक्रिया विवरण :–

क्रमांक	विवरण	शिड्यूलरेट
1	बोली निविदा जारी करने की दिनांक	03.05.25
2	प्रीबिड मीटिंग दिनांक	09.05.25 at 11a.m.
3	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	13.05.25 at 11am
4	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	13.05.25 at 03 p.m.
5	बिड डाक्युमेन्ट शुल्क	500 / –
6	बिड प्रोसेसिग शुल्क	1500 / –
7	बिड सुरक्षा राशि	108000 / –

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की विशेष शर्ते एवंनिर्बधन :–

कृपया निविदा में उल्लेखित शर्तो को पढकर दरें देवें, जिसमें बाद मे किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1. तीनवर्ष (2021–2022, 2022–23 एवं 2023–24) वार्षिक टर्न ओवर औसत न्यूनतम तीन करोड रूपये होना चाहिए। तथा निविदा के साथ सी.ए. का प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. आयकर/जी.एस.टी. का पंजियन दस्तावेज साथ में संलग्न करना होगा।
3. पर्यटकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गार्ड को निर्धारित समय के अतिरिक्त ली गई सेवा के लिए कॉओपरेटिव सोसायटी के नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।
4. राज्य के किसी भी पर्यटन थाने में दक्ष कार्मिकों (सुरक्षा गार्ड) की आवश्यकता होने पर कॉओपरेटिव सोसायटी अनुबंधानुसार आपूर्ती निश्चित करेगा।
5. कॉओपरेटिव सोसायटी विभागीय स्तर कार्य उपस्थिति प्रमाणीकरण उपरान्त प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बिल प्रस्तुत करेंगे। अतिरिक्त कार्य/सेवा का प्रमाणीकरण उप निदेशक (टैफ) पर्यटन विभाग के स्तर पर किए जाने पर ही मान्य होगा।
6. कॉओपरेटिव सोसायटी प्रमाणित संस्था की ही निविदा मान्य होगी।
7. न्यूनतम 20 मानक **Ex Servicemen** वाली संस्था की ही निविदा मान्य होगी।

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की सामान्य शर्ते एवं निर्बधन :–

1. निविदा के साथ 02 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में रूपये 1,08,000/– सहायक निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर के नाम बैंकर्सचैक/पेआर्डर के द्वारा संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट tourism. rajasthan. gov.in एवंSPP Portal, E Proc पर देखी जा सकती हैं।
3. बोलीप्रपत्र शुल्क(अप्रतिदेय) पाँचसौ रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर के पक्ष में बनाना होगा एंव निविदा प्रसंस्करण शुल्क के लिये राशि रूपये एक हजार का डीडी एम.डी. (आर.आई.एस.एल.) के नाम देना होगा एवं अपलोड भी करवाना होगा।
4. बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क का डिमाण्ड ड्रॅाफ्ट **भौतिक रूप** में सहायक निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर को भौतिक रूप से **दिनांक 13.05.25** को 11 **am** तक जमा कराना आवश्यक है।
5. बोलीदाता द्वारा सभी दरें यथाकर, उपकर, सर्विस चार्ज, आदि पृथक पृथक रूप से अंकित किए जावें।
6. निविदाकार को कॉओपरेटिव सोसायटी में पंजियन/लाईसेंस के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. बोली की दरें शब्दों व अंकों में स्पष्ट अंकित करें। काँट–छाँट नहीं करें तथा कटिंग होने पर पूर्ण हस्ताक्षर कर उसे प्रमाणित करें। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर निविदा स्वीकार योग्य नहीं मानी जावेगी।
8. निविदा प्रपत्र दिनांक **03.05.25** से **13.05.25** तक वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय सयुक्त निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर का होगा। न्याय क्षैत्र उदयपुर होगा।
10. सामान्य डयूटी समय आठ घण्टे का रहेगा। संविदा पर उपलब्ध कराये गये कर्मियों को प्रत्येक सप्ताह में एक अवकाश देय होगा।
11. **अनुबन्ध की अवधि** 1 वर्ष के लिये होगी एंव सेवाये सतोषजनक पाये जाने पर अगले 1 वर्ष के लिये बढाई जाएगी।
12. निविदा के किसी भी भाग को अथवा पूर्ण निविदा को निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
13. इस निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
14. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि की 3 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में सहायक निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, के नाम बैकर्सचैक/ डीडी से जमा करानी होगी।
15. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने की तिथि से दस दिवस के भीतर पाँच सौ रूपयें के नॉनन्युडिशल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
16. किसी भी राजकीय विभाग/उपक्रम अथवा अर्द्वशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाले गए/दण्डित की गयी फर्म /ऐजेन्सी निविदा में भाग नहीं लेसकेगी।
17. सफल निविदाकार को प्रत्येक माह भुगतान हेतु बिल दो प्रति में प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान अनुभाग अधिकारी के प्रमाणन के पश्चात किया जावेगा। बिल में से नियमानुसार आयकर एवंळैण्ज्की कटौती के पश्चात भुगतान किया जावेगा।
18. निविदा प्रस्ताव की वैद्यता अवधि निविदा खोलने की तिथी से 90 दिनहोगी।
19. ऐजेन्सी को उपलब्ध करायेगऐ व्यक्तियों को अनुमोदित दरों के आधार पर मासिक भुगतान हेतु बिल अगले माह प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा।
20. अनुबन्ध के बीच में छोडने पर पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबंध की शेष अवधि मे होने वाले अधिक व्यय, नुकसान, हानि, की वसुली अनुबन्धकर्ता से की जावेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

21. अनुबंध की अवधि के दौरान उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की दुर्घटना से मृत्यु अथवा अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में पर्यटन विभाग की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्तिराशि का भुगतान किया जावेगा।

22. अनुबन्ध की अवधि पूर्णहोने के तीन माह पश्चात जमा सुरक्षा राशि का भुगतान कोई बकाया राशि नही होने की स्थिति मे लोटाई जा सकेगी।

23. निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्ष का कार्यनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

24. कार्मिक के ई.एस.आई./ई.पी.एफ. जमाकराने का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के अन्त तक प्रस्तुत करनाह ोगा।

25. निविदाकार का मैनपावर उपलब्ध कराने का गत तीन वर्ष का वार्षिक औसत टर्न ओवर न्यूनतम रुपये 3 करोड होना चाहिये जिसके लिये चार्टेड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र या आयकर विवरणी की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।

26. यदि निविदाकार द्वारा गार्डो को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी तथा नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति मे निविदाकार को डी-बारकराने की कार्यवाही होगी।

27. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 , कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्तप्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण पत्र सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

28. संवेदक द्वारा नियोजित टैफ को पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैक खाता मे जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने प र ही संवेदन को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

29. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि में कटोती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

30. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

31. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संदेवक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान नही किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का दायित्व संवेदक का होगा।

32. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा, आदिदेने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

33. कार्यसम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ मे किसी भीप्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई. एस.आई. कराने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की जिम्मेदारी नही होगी।

Scanned with OKEN Scanner

34. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्यआदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति सैनिक कल्याण विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।
35. पर्यटन सहायता बल में एक्स सर्विसमेन ही उपलब्ध करवाने होंगे।
36. Ex Servicemen की आयु 55 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
37. उपलब्ध करवाये गये Ex Servicemen की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनीयर सैकण्डरी होनी चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर.........
मोबाईल नं./ई–मैल ....

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थानसरकार,
क्षेत्रीय पर्यटनकार्यालय,
फतह मेमोरियल, सूरजपोल
उदयपुर

क्रमांक :– एफ–8 ( ) निविदा / टैफ–पवि / 2025–26 / 326   दिनांक: 03-05-25

N.I.B / 2025–26

UBN No.

उप निदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर, रजिस्टर्ड कॉ ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक्स सर्विसमैन लेने हेतु ई–बोली आंमत्रित करता है। एक्स सर्विसमैन का पारिश्रमिक सैनिक कल्याण विभाग,राजस्थान द्वारा जारी दरों के अनुसार देय होगा। विस्तृत विवरण वेबसाइट sppp. rajasthan.gov.in E-Proc /www.tourism.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

Scanned with OKEN Scanner

एस.आर. प्रारूप–II

बेली दाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैनें/हमने आपके विभाग में एक्स सर्विसमैन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। हमारे द्वारा जो भी सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसमें किसी भी तरह की सूचना यदि असत्य पाई जाती है, तो इसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना मेरी/हमारी प्रतिभूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार,
क्षेत्रीय पर्यटनकार्यालय,
फतह मेमोरियल, सूरजपोल
उदयपुर

क्रमांक :– एफ–8 ( ) निविदा / टैफ–पवि / 2025–26 / 327 दिनांक:

निदेशक,
सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय
राजस्थान, सचिवालय
जयपुर।

विषय :–ई–बिड सूचना संख्या 326 / 03.05.25 / 2025–26 को प्रकाशन करने बावत।

महोदय,

उपनिदेशक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, उदयपुर द्वारा जारी बिड सूचना संख्या ....खुली निविदा के आधार पर गार्ड की सेवाए लिए जाने से सम्बन्धित है जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 54 लाख है। इसका प्रकाशन लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियमो के अन्तर्गत निम्नानुसार करावें :–

1. एक क्षेत्रीय दैनिक समाचा रपत्र
2. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र
3. नोटिस बोर्ड डीपीआर

संलग्न :–उपरोक्तानुसार
8 बिडसूचना की प्रति मय सीडी।

भवदीय

सहायक निदेशक
पर्यटक स्वागत केन्द्र
उदयपुर (राज.)

क्रमांक :– एफ–8 ( )निविदा / टैफ–पवि / 2025–26 / दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक, एसीपी, आई.टी. शाखा मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का अपलोड विभागीय वेबसाइट "www.tourism.rajasthan.gov.in", sppp portal एवं E-Proc पर भी जारी करवाने की व्यवस्था करावें।1274
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

सहायक निदेशक
पर्यटक स्वागत केन्द्र
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner